जन कल्याणकारी योजनाओं

में लाभुक की पात्रता पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची का जनहित याचिका 383/2014 का निर्णय दिनांक 12.02.2015

केवल जागरूकता के लिए

'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

प्रकाशन वर्ष : 2015

किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा मदद के लिए सम्बंधित विभाग के सक्षम पदाधिकारी या झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार न्याय सदन, डोरण्डा, राँची (0651-2482392) Web. : www.jhalsa.org, email : jhalsaranchi@gmail.com फैक्स : 0651-2482397(जिला स्तर पर सम्बंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं ग्रामीण विधिक देखभल एवं सहायता केन्द्र) से सम्पर्क

झालसा द्वारा जनहित में जारी

यह पाठ्य-सामग्री झालसा के वेबसाइट (www.jhalsa.org) पर भी उपलब्ध है।

जन कल्याणकारी योजनाओं

में लाभुक की पात्रता पर माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची का जनहित याचिका 383/2014 में न्याय कोरम **माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विरेन्द्र सिंह एवं माननीय न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.पी.भट्ट** द्वारा दिनांक 12.02.2015 को पारित आदेश

प्रश्न : क्या अन्त्योदय अन्न योजना के लाभ ले रहे लाभुक इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं ?

उ0 : जनहित याचिका पर विचारण करते हुए माननीय न्यायलय ने आशा व्यक्त किया कि इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ अंत्योदय अन्न योजना के प्रत्येक लाभुक को मिलना चाहिए अगर वह पात्रता रखते हैं तो, क्योंकि यह सामाजिक कल्याणकारी योजना है और इसके लाभ से किसी भी सुपात्र को वंचित नहीं किया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने आदेश दिया कि :

1. कई आवेदन योजना के लाभ हेतु लंबित हैं जिनका निष्पादन पात्रता कसौटी के अनुसार किया जाये तथा पूरी प्रक्रिया को तीन माह के अंदर निपटा दिया जाये। माननीय उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि इस संबंध में किसी भी देरी को काफी गंभीरता से लिया जायेगा।

2. माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि ग्रामीण विधिक देखभाल एवं सहायता केन्द्र में तैनात पारा लीगल वॉलन्टियर अन्त्योदय अन्न योजना कार्डधारकों को इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की जानकारी पहुँचायेंगे क्योंकि अन्त्योदय अन्न योजना के सभी लाभुक समाज के सबसे अंतिम पायदान से आते हैं और हो सकता है कि उन्हें इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की जानकारी न हो। पारा लीगल वॉलन्टियर को वह दूरी पाटनी है जो योजना की अज्ञानता के कारण योजना के लाभ लेने से चूकने से होती है ताकि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य 'सभी तक न्याय की पहुँच' को प्राप्त किया जा सके।

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को पीछे के पृष्ट पर विस्तार से दिया जा रहा है। कृपया उसे अधिकाधिक लोगों में प्रचारित करें।

इंदिरा गाँधी
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

प्रश्न : योजना क्या है ?

उ0 : इस योजनान्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी आयु 60 वर्ष से 79 वर्ष के बीच है तथा जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची 2002 में अंकित है, 600/- (छः सौ) रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है तथा जिनकी आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, एवं जो बी0पी0एल0 सूची में शामिल है, उनको 700/- (सात सौ) रूपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दी जाती है।

इस योजना का लाभ केवल बी0पी0एल0 सूची में नाम दर्ज व्यक्तियों को ही दिया जायेगा।

प्रश्न : योजना का लाभ पाने की अर्हता क्या है ?

उ0 : इस योजना का लाभ केवल बी0पी0एल0 सूची में दर्ज व्यक्तियों को ही दिया जाता है।

प्रश्न : योजना का लाभ पाने के लिए कहाँ और किनसे संपर्क करें ?

उ0 : इन सभी लाभों के समुचित जानकारी हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी / सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग / उपायुक्त / निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची से सम्पर्क किया जा सकता है।

प्रश्न : विधिक सहायता के लिए कहाँ संपर्क करें ?

उ0 : नजदीकी जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय या ग्रामीण विधिक देखभाल एवं सहायता केन्द्र। दूरभाष संख्या - 0651 - 2491341

'न्याय सदन'
झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
ए.जी. ऑफिस के समीप, डोरण्डा, राँची
संपर्क : 0651–2481520, फैक्स : 0651–2482397
Email : jhalsaranchi@gmail.com, Website : www.jhalsa.org

सूचना : यह सामग्री केवल जन–जागरूकता के लिए है। किसी भी प्रकार का दावा करने से पूर्व मूल स्कीम द्रष्टव्य है।